कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax-0135-2767611**

संख्याः– 2009 / **FP/UK/ROAD/33492/2018** देहरादूनः दिनांक 30 **जनवरी, 2021**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार–गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **REC Meeting** दिनांक 29.12.2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **REC Meeting दिनांक 29.12.2020** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	As per the norms of Indian road congress 52-2019, ROW may be kept as 9.0 m but the tree felling be allowed only in 5.2 m on straight alignment and 6.1 m on curvs/turns therefore, the state govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.10 m width on turns and 5.2 m for rest of the alignment and ensure that tree beyond this width shall not be felled.	IRC: SP 20-2020 के Clause 2.6.4 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग में यातायात हेतु Carriageway की चौड़ाई 3.75 मीटर की संस्तुति की गई है। Roadway width IRC : SP 20-2020 के Clause 2.6.4 की (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार 6.0 मीटर सीधे भाग हेतु (लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 5.95 मीटर) एवं मोड़ो पर कर्व के अनुसार 6.85 मीटर (0.9 मीटर मोड़ो पर अतिरिक्त चौड़ाई) ली जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त Valley side में प्रतिधारक दीवारों के निर्माण तथा पहाड़ कटान के Slop को स्थरीकृत (stabilise) किये जाने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा पहाड़ों में मोटर मार्ग के नव निर्माण की डी0पी0आर0 गठन हेतु दरे निर्धारित की गई है। (छाया प्रति संलग्न)। उपरोक्त विशिष्टियों के आधार पर पहाड़ों में मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सीधे भाग में 5.95 मीटर चौड़ाई एवं कर्व पर 6.85 मीटर चौड़ाई (0.9 मीटर मोड़ों पर अतिरिक्त चौड़ाई) निर्धारित की गई है। अतः वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव हेतु वृक्षों की गणना 7.0 मीटर चौड़ाई में किया जाना प्रासंगिक है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथापरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 30/1/21
प्रमुख वन संरक्षक
कार्या0–अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून